भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3462

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य व्यवसाय संचालक

3462. श्री अरुण भारतीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को समाप्त उपभोग अवधि वाले अथवा अस्वीकृत खाद्य उत्पादों के प्रबंधन के संबंध में कोई परामर्श जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है कि समाप्त उपभोग अवधि वाले या अस्वीकृत खाद्य पदार्थों की पुनः ब्रांडिंग न की जाए और उन्हें मानव उपभोग उत्पादों के रूप में न बेचा जाए;

(ग) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा तिमाही आधार पर अस्वीकृत अथवा समाप्त उपभोग अवधि वाले खाद्य उत्पादों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए शुरू किए गए नए उपबंधों को किस प्रकार कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है कि एफबीओ कच्चे, प्रसंस्कृत, अस्वीकृत, वापस लिए गए या वापस की गई सामग्री जैसे खाद्य पदार्थों के पृथक्करण और सुरक्षित भंडारण के लिए विनियमों का अनुपालन करें; और

(ङ) उक्त दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के विरुद्ध क्या दंड/कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने गतावधिक या अस्वीकृत खाद्य उत्पादों के उचित प्रबंधन के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को एक परामर्शिका जारी की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे उत्पाद पुनः आपूर्ति श्रृंखला में ना आए और उपभोक्ता सुरक्षा से कोई समझौता न हो। यह परामर्शिका सार्वजनिक डोमेन https://www.fssai.gov.in/advisories.php में उपलब्ध है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 और 27 के अंतर्गत विनियामक प्रावधानों तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची IV के अनुसार, खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को अस्वीकृत/गतावधिक उत्पादों को अलग करना और स्पष्ट रूप से चिह्नित करना तथा एफआईएफओ (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट)/एफईएफओ (फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट) स्टॉक रोटेशन प्रणाली का पालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा, खाद्य व्यवसायियों को ऐसे उत्पादों पर की गई कार्रवाई का सटीक रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया गया है, जिसमें उन्हें नष्ट करना, वैकल्पिक उपयोग के लिए नीलामी करना या अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से उनका निपटान करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये वस्तुएं खाद्य श्रृंखला में दोबारा ना आए।

(घ) और (ङ): खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची IV के अनुसार, एफबीओ को परस्पर-संदूषण और दुरुपयोग को रोकने के लिए कच्चे, संसाधित, अस्वीकृत, वापस मंगाए गए या लौटाए गए उत्पादों का उचित पृथक्करण और अलग-अलग चिह्नांकन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत भंडारण, पृथक्करण और स्वच्छता आवश्यकताओं के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए एफएसएसएआई द्वारा केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से नियमित निरीक्षण और ऑडिट किए जाते हैं।यदि एफ.बी.ओ. भंडारण और पृथक्करण मानदंडों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषी एफ.बी.ओ. के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

******